कार्यालय जिला सूचना अधिकारी पौड़ी गढ़वाल।

फोन / फैक्स न0– 01368–222283 Web site: uttarainformation.gov.in
Email: dio.pauri@yahoo.com, districtinformation.pauri@gmail.com

प्रेस–विज्ञप्ति

सू0वि0 / पौड़ी गढ़वाल / दिनांक 29 जून 2013

माह के प्रथम मंगलवार को आयोजित होने वाला मुख्य तहसील दिवस आगामी 2 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे से जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार की अध्यक्षता में तहसील सभागार श्रीनगर में आयोजित किया जायेगा। इस तहसील दिवस में सहकारिता, राजस्व, बाल विकास, वन विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा विभाग समेत अन्य विभागों के स्टाल लगा कर लोगों को विभागों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त आशय की जानकारी देते हुए प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय ने अवगत कराया है कि इस अवसर पर लोगों की विभिन्न शिकायतों का समाधान उपस्थित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं के निराकरण के लिये अधिकाधिक संख्या में तहसील सभागार में उपस्थित होवें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर आम जनता की समस्याओं का निराकरण करना सुनिश्चित करें।

---

1 जुलाई को दोपहर 12.00 बजे जिला आपदा परिचालन केन्द्र में जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार प्रेस–प्रतिनिधियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने बताया है कि कॉन्फ्रेंस में अतिवृष्टि के कारण आयी दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को जिला प्रशासन द्वारा दी जा रही राहत सुविधाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने जनपद के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के कार्मिकों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग करने को कहा है ताकि जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रभावितों के लिये चलायी जा रही कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध हो सके।

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी एवं गढ़वाल में दैवीय आपदा के कारण प्रभावितों को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर आपदा राहत कोष के नाम से स्टेट बैंक पौड़ी में खाता संख्या– 20152256700 खुलवाया गया था, जिसके माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा आपदा से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचायी जा रही थी।

जिलाधिकारी चन्द्रेश कुमार ने अवगत कराया है कि राहत कोष के नाम से खोला गया बैंक खाता तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया गया है तथा जो भी दानदाता आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता पहुंचाना चाहता हो वह अब मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से बैंक ड्राफ्ट / चैक अथवा ऑनलाइन के माध्यम से सहायता कर सकता है। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों एवं उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे अब इस खाते में किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता संचित न करवायें क्योंकि यह खाता तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी हो तो वे मुख्यमंत्री राहत कोष के नाम से बैंक ड्राफ्ट / चैक के माध्यम से सहायता हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

प्रभारी जिला सूचना अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल।